**पत्र सूचना कार्यालय**
**भारत सरकार**
**/////**

**स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री का भाषण**
**(15 अगस्त, 2009)**

**24 श्रावण ., 1931**
**नई दिल्ली,--------------------------**
**15 अगस्त, 2009**

प्यारे देशवासियो - भाइयो और बहनो,

यह मेरी खुशकिस्मती है कि एक बार फिर 15 अगस्त के पवित्र दिन मुझे आपके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ।

आज का दिन निश्चय ही हमारे लिए खुशी और गर्व का दिन है। हमें अपनी आज़ादी पर गर्व है। हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है। हमें अपने मूल्यों और आदर्शों पर गर्व है। पर आज के दिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज हम जहाँ पर हैं, वहाँ पहुँचने के लिए लाखों भारतवासियों ने क़ुर्बानियाँ दी हैं। हमारी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारी सेना के बहादुर जवानों, हमारे किसानों, हमारे मज़दूरों और हमारे वैज्ञानिकों के त्याग, बलिदान और मेहनत पर रखी गई है।

आज हम उन सभी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी और सुरक्षा के लिए अपनी जान क़ुर्बान कर दी। देश के उन बहादुर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का सबसे बढ़िया तरीका यह होगा कि हम आज यह संकल्प लें कि हम हमेशा देश की एकता और अखंडता को मज़बूत करने के लिए समर्पित रहेंगे। आइए, आज हम सब मिलकर प्रण करें कि भारत का नाम ऊँचा रखने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

भाइयो और बहनो,

अभी कुछ महीने पहले जो चुनाव हुए, उनसे हमारा देश और हमारा लोकतंत्र और मज़बूत हुआ है। इन चुनावों में भारत की जनता ने देश और समाज को जोड़ने वाली राजनीति को स्वीकार किया है। आपने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को चुना है जो धर्मनिरपेक्ष है और जिसमें कई तरह की विचारधाराएं शामिल हैं। आपने एक ऐसी लोकतांत्रिक जीवन-शैली के लिए वोट दिया है जिसमें बातचीत के ज़रिए मतभेदों को दूर करने की गुंजाइश है। मेरा मानना है कि हमारी सरकार को राष्ट्रीय जीवन में सहयोग और मेल-मिलाप के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए जनादेश मिला है।

हमारी सरकार को आपने जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसे हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं आज के पवित्र अवसर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत के हर नागरिक की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि भारत का हर नागरिक

खुशहाल और सुरक्षित हो और अपना जीवन गर्व और आत्मसम्मान से जी सके। अपने काम में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की त्याग और सेवा की भावना से प्रेरणा लेते रहेंगे। हमारी सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और अन्य महान नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि अपने काम में हम सबको साथ लेकर चलें और देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए आम सहमति और सहयोग का माहौल बनाएं।

हम सोचते हैं कि सही मायने में भारत की तरक्की तभी हो सकती है जब उसमें हरेक नागरिक की भागीदारी हो। हमारे राष्ट्रीय संसाधनों पर हर भारतीय का हक़ है। पिछले 5 सालों में हमारी सरकार की नीतियां और कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित रहे हैं। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करने का रहा है कि विकास का फ़ायदा समाज के सभी तबकों और देश के हर क्षेत्र और हरेक नागरिक तक पहुँचे। अपने काम में हमें कामयाबी भी मिली है, पर हमारा काम अभी अधूरा है। हम इसको ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ाएंगे।

भाइयो और बहनो,

जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2007-08 तक हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 9 फ़ीसद की दर से बढ़ी थी। दुनिया भर में आर्थिक हालात खराब होने की वजह से यह विकास दर 2008-09 में कम होकर 6.7 फ़ीसद हो गई। यह हमारी नीतियों का ही नतीजा है कि दूसरे देशों की तुलना में हम पर विश्व आर्थिक संकट का कम असर पड़ा है। अपनी विकास दर को वापस 9 फ़ीसद पर लाना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उसके लिए जो भी कदम जरूरी हैं, हम उठाएंगे। चाहे वे देश में ज्यादा पूंजी लाने के लिए हों, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हों या सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए। हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हालात में सुधार होगा, परंतु उस समय तक हम सभी को वैश्विक आर्थिक मंदी के बोझ को सहन करना होगा। अपने व्यापारियों और उद्योगपतियों से मेरी अपील है कि वे इस कठिन दौर से निपटने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं।

मैं बराबर यह कहता रहा हूँ कि हमारे किसानों की खुशहाली के बिना भारत की खुशहाली मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने लाखों किसानों के कर्ज़ माफ किए थे। हमने कृषि उत्पादों का खरीद मूल्य पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ाया है। इस साल मानसून में कुछ कमी हुई है। इसका कुछ विपरीत प्रभाव तो हमारी फसलों पर पड़ेगा, पर मुझे यकीन है कि हम इस परिस्थिति का सामना बखूबी कर पाएंगे। सूखे का मुक़ाबला करने के लिए हम अपने किसान भाइयों को हर प्रकार की मदद देंगे। मानसून में कमी को देखते हुए हमने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज की अदायगी की तारीख को मुल्तवी कर दिया है। इसके अलावा, कम मीयाद वाले क्रॉप लोन्स (Crop Loans) पर ब्याज़ की अदायगी के लिए हम किसानों को अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं।

हमारे पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। अनाजों, दालों और रोज़मर्रा की दूसरी ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतों पर क़ाबू पाने के लिए हर मुमक़िन कोशिश की जाएगी। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करूँगा कि वे आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करें।

कृषि के क्षेत्र में सफलता के लिए हमें आधुनिक उपायों का सहारा लेना होगा। सीमित मात्रा में उपलब्ध ज़मीन और जल संसाधनों का उपयोग हमें अधिक कुशलता से करना होगा। छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को नई तकनीकें खोजनी होंगी। हमें उन किसानों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं। देश को एक और हरित क्रांति

की ज़रूरत है और हम इस दिशा में भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा मक़सद है - कृषि में 4 फ़ीसद सालाना विकास, और मुझे विश्वास है कि अगले 5 सालों में हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे।

हम चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक कभी भी भूखा न सोए। इसीलिए हमारा वादा है कि हम एक खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को हर महीने एक निश्चित मात्रा में रियायती दरों पर अनाज दिया जाएगा। कुपोषण की समस्या का अंत करने का भी हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इसमें महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों का ख़ास ख़्याल रखा जाएगा। मार्च 2012 तक हम देश के 6 साल से कम उम्र के हर बच्चे तक आईसीडीएस स्कीम (ICDS Scheme) का लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे।

यूपीए की पहली सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को साल में 100 दिनों के रोजगार का हक़ दिया था। पिछले 4 सालों में हमने इस रोज़गार योजना का विस्तार पूरे देश में किया है। यह कानून अपने मकसद को काफ़ी हद तक पूरा कर पाया है और वर्ष 2008-09 के दौरान इससे 4 करोड़ परिवारों को फ़ायदा हुआ है। साथ ही, इस कानून से ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। आने वाले समय में हम रोज़गार योजना में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कामों में नए क़िस्म के काम भी जोड़े जाएंगे।

भाइयो और बहनो,

हमारा मानना है कि अच्छी शिक्षा न सिर्फ़ अपने आप में ज़रूरी है, बल्कि हमारे लोगों के सशक्तिकरण के लिए भी आवश्यक है। अभी हाल ही में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया है। इस कानून के बनने से देश के हर बच्चे को बेसिक शिक्षा का अधिकार मिल गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हम विकलांग बच्चों की ज़रूरतों पर खास ध्यान देंगे। पिछले कुछ सालों की मेहनत की बदौलत आज प्राथमिक शिक्षा लगभग हर बच्चे की पहुँच में है। अब हमें माध्यमिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एक ऐसे कार्यक्रम के तहत किया जाएगा जिसका फ़ायदा देश के हर बच्चे को मिले। हमारी यह कोशिश जारी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वज़ीफे और बैंकों से कर्ज़ उपलब्ध हो सकें।

समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे करीब 5 लाख छात्रों को तकनीकी और प्रोफेशनल (Professional) शिक्षा पाने में मदद मिल सकेगी।

अच्छी सेहत इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है। हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मक़सद ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना है। हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेंगे ताकि उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को शामिल किया जा सके। विकास के रास्ते पर चलते हुए हम यह खास ध्यान देंगे कि अपने विकलांग भाइयों और बहनों को हम अपने साथ लेकर चलें। हम उनके लिए सहूलतें बढ़ाएंगे।

सेहत की बात करते हुए मैं एच1एन1

वायरस से फैल रहे फ्लू का भी जिक्र करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के कुछ हिस्से इस बीमारी से परेशान हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस बीमारी पर काबू पाने की हर

जरूरी कोशिश करती रहेगी। मैं आपको यह भरोसा भी दिलाना चाहता हूं कि हालात ऐसे नहीं हैं कि डर और घबराहट की वजह से हमारे रोज़मर्रा के काम रुक जाएं।

भाइयो और बहनो,

ग्रामीण और शहरी इलाकों के विकास के लिए जो विशेष कार्यक्रम हमारी पिछली सरकार ने शुरू किए थे, उनमें तेज़ी लाई जाएगी। भारत निर्माण कार्यक्रम के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में हम कुछ हद तक सुधार लाने में सफल रहे हैं, पर शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास में अभी भी बहुत अंतर है। इसके लिए इस साल हमने भारत निर्माण के लिए फंड्स (funds) काफी बढ़ा दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण और टेलीकम्युनिकेशन्स (Telecommunications) की स्कीमों के लिए हम अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करेंगे।

बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हम अपनी कोशिशें और तेज करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने रोज़ाना 20 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी प्रकार रेलवे (Railways) ने डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर्स (Dedicated Freight Corridors) पर काम शुरू कर दिया है। एयर इंडिया (Air India) की समस्याओं पर हम गंभीरता से गौर कर रहे हैं और जल्द ही उनका समाधान निकल आएगा। सड़क, रेलवे (Railways) और सिविल एविएशन (Civil Aviation) की उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व के राज्यों में लागू की जा रही हैं।

शहरी इलाकों के लिए हमने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission) शुरू किया था। हम इसमें भी तेज़ी लाएंगे। आज हमारे शहरों में लाखों लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। हम अपने देश को जल्द से जल्द झुग्गी-झोपड़ी रहित बनाना चाहते हैं। इस मक़सद से अगले पांच सालों में हम झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बेहतर आवास सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजीव आवास योजना शुरू करेंगे।

भाइयो और बहनो,

हाल ही के सालों में जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में चिंता का विषय बना है। अगर समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और हमारी नदियों में पानी बहुत कम हो जाएगा। सूखे और बाढ़ की समस्याएं और भी गंभीर हो जाएंगी। हमें वातावरण के प्रदूषण को भी रोकने की ज़रूरत

है। भारत, जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना, दुनिया के और देशों के साथ मिलकर करना चाहता है। हमने 8 राष्ट्रीय मिशन बनाने का फैसला किया है। इन आठ मिशनों के ज़रिए हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने के लिए और उसको सस्ता करने के लिए इस साल 14 नवंबर को हम जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत करेंगे।

पवित्र गंगा नदी भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवन स्रोत है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम गंगा को साफ रखें। हमने राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें आपसी सहयोग से इस पवित्र नदी को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगी। इस काम में आम जनता के सहयोग की भी ज़रूरत है।

हमारे कुदरती संसाधन सीमित मात्रा में हैं। हमें उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऊर्जा बचाने की एक नई संस्कृति की जरूरत है। हमें पानी का फालतू इस्तेमाल रोकने की भी जरूरत है। हम पानी को इकट्ठा और जमा करने के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देंगे। ''पानी बचाओ ' हमारे देश में एक राष्ट्रीय नारा होना चाहिए।

भाइयो और बहनो,

हम सब मुश्किलों का सामना तभी कर सकते हैं जब हम मिलकर काम करें। हमारे देश के नागरिकों को अपनी नाखुशी और गुस्से का इज़हार करने का पूरा हक है। मेरा यह भी मानना है कि हर एक सरकार को लोगों की शिकायतों और नाराज़गी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। परंतु सरकारी संपत्ति की तोड़-फोड़ और खून-खराबे से कुछ हासिल नहीं होता। असहमति जताने के लिए हिंसा का सहारा लेने वालों के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी।

दुनिया के सभी हिस्सों में शांति और अमन-चैन के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। मुंबई में पिछले नवंबर में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कई कदम उठाएं हैं। आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए हमारी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि समाज के सभी तबकों के भरपूर सहयोग से हम अपने देश से आतंकवाद को खत्म करने में कामयाब होंगे।

आज हमारे देश के कुछ हिस्से नक्सलवादी समस्या से परेशान हैं। यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की जान और उनकी आज़ादी की हिफाजत करे। जो लोग यह सोचते हैं कि बंदूक के बल पर राज किया जा सकता है, वे हमारे लोकतंत्र की मजबूती को नहीं समझते। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अपनी कोशिशों में तेज़ी लाएगी। राज्य पुलिस बलों को आधुनिक और प्रभावी बनाने में हम राज्य सरकारों की पूरी मदद करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी, वहाँ केन्द्रीय सुरक्षा बल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार और अधिक प्रयास करेगी।

मैं यहां यह भी कहना चाहूँगा कि हम सामाजिक और आर्थिक असंतोष के उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिनसे नक्सलवाद जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। हम ऐसे विकास में विश्वास रखते हैं, जिससे पिछड़ापन और बेरोज़गारी दूर हो और आमदनी में फ़र्क कम हो। हम विकास की प्रक्रिया में अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों की सक्रिय भागीदारी चाहते हैं।

भाइयो और बहनो,

हम यह नहीं मानते कि विकास में पीछे रह गए तबकों की देखभाल करना किसी की खुशामद करना है। हमारा यह मानना है कि ऐसा करना हम सबका फ़र्ज है। हमारी सरकार हमारे अल्पसंख्यक भाई-बहनों

की भलाई का पूरा ख्याल रखेगी। हमने अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए कई नए प्रोग्राम शुरू किए हैं। इनको और आगे बढ़ाया जाएगा। अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले ज़िलों की तरक्की के लिए जो खास प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके लिए इस साल फण्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह, अल्पसंख्यकों के लिए जो वज़ीफ़े पहली यूपीए सरकार ने शुरू किए थे, उनके लिए भी रक़म में बहुत बढ़ोत्तरी की गई है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जो बिल संसद में पेश किया गया है, उसको जल्द से जल्द कानून में बदलने की कोशिश की जाएगी।

यह दुख की बात है कि हमारे समाज में बच्चियों को पैदाइश से पहले ही मार देने की घटनाएं आज भी हो रही हैं। यह हमारे समाज के माथे पर कलंक है। जितनी जल्दी मुमकिन हो, हमें इसे मिटाना होगा। हमारी तरक्की तब तक अधूरी रहेगी जब तक महिलाएं हमारे जीवन के हरेक क्षेत्र में और राष्ट्र की प्रगति में समान भागीदार नहीं बन जातीं। हमारी सरकार महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द पास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विधेयक पार्लियामेंट और स्टेट असेम्बलीज़ में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करेगा। हम एक ऐसा कानून बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जिसके द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फ़ीसद आरक्षण दिया जाएगा। असल में, हमें ऐसे उपाय ढूँढ़ने की जरूरत है जिनसे सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर ज्यादा अख़्तियार देने के लिए हमारी सरकार लगातार कोशिश करती रहेगी। हमने राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन शुरू करने का फैसला किया है जिसके द्वारा महिला निरक्षरता की वर्तमान दर को अगले तीन साल में आधा किया जाएगा।

अपने बहादुर सैनिकों पर हमें नाज़ है। यह हमारा फर्ज़ बनता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे भूतपूर्व सैनिक आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के मामले का अध्ययन करने के लिए बनी कमेटी की सिफ़ारिशों को हमने मंजूरी दे दी है। इससे करीब 12 लाख रिटायर्ड जवानों और जूनियर कमीशन्ड आफीसर्स की पेंशन बढ़ जाएगी।

भाइयो और बहनो,

अपने विकास के सफ़र में न केवल हमें समाज के कुछ तबकों पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है बल्कि देश के पिछड़े हिस्सों की विशेष ज़रूरतों का भी ख़्याल रखना है। विकास के मामले में हम क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयास तेज करेंगे। यहाँ मैं अपने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों का ज़िक्र खास तौर पर करना चाहूँगा। हमारी सरकार की बराबर यह कोशिश रहेगी कि हमारे उत्तर-पूर्व के राज्य देश की प्रगति में बराबर के हिस्सेदार बनें। इम्फाल या कोहिमा जमीनी तौर पर नई दिल्ली से दूर जरूर हैं, लेकिन हमारे ज़ेहन में उनकी भलाई का ख़्याल हमेशा रहता है। हम यह जानते हैं कि बिना उनकी भलाई के हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता।

पिछले स्वतंत्रता दिवस पर जब मैंने आपके सामने अपनी बात रखी थी, उसके बाद से अब तक जम्मू-कश्मीर में दो चुनाव हो चुके हैं। पहला, राज्य विधान सभा के लिए और दूसरा लोक सभा के लिए। दोनों ही चुनावों में राज्य के हर इलाके की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है।

जम्मू और कश्मीर के सभी हिस्सों में शासन में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार राज्य सरकार की भरपूर मदद करती रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि राज्य में मानवाधिकारों का आदर किया जाए और राज्य के सभी नागरिक सुरक्षा के माहौल में अमन-चैन और आत्म-सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। हम संविधान में जम्मू-कश्मीर को दिए गए आश्वासनों और रियायतों का आदर करते हैं। हम इन विशेष प्रावधानों को बनाए रखेंगे।

भाइयो और बहनो,

आज की दुनिया बहुत से मायनों में बहुत छोटी होती जा रही है। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट हो, आतंकवाद हो, या जलवायु परिवर्तन - दुनिया के एक हिस्से में जो कुछ होता है, उसका असर दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। जिन बहुपक्षीय संस्थाओं की स्थापना 20वीं शताब्दी में की गई थी, आज उनकी कार्य प्रणाली और उपयोगिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जो इन लगातार बदलते हुए हालात में भारत के हितों के लिए काम कर सके। मुझे खुशी है कि हम ऐसा करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं।

अमरीका, रूस, चीन, जापान और यूरोप के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों में भारत और उसके नागरिकों के लिए बहुत सद्भावना है। हमने अफ्रीका के साथ अपने रिवायती रिश्तों को और मजबूत किया है। हम लैटिन अमेरिका में नई संभावनाएं तलाश कर रहे हैं।

जहाँ तक हमारे पड़ोसियों का सवाल है, हम उनके साथ अमन और शांति से रहना चाहते हैं। हम ऐसा माहौल पैदा करने की हर कोशिश करेंगे जो पूरे दक्षिण एशिया के सामाजिक और आर्थिक विकास के हित में हो।

भाइयो और बहनो,

हम कितने ही अच्छे कार्यक्रम और योजनाएं क्यों न शुरू कर दें, जब तक हमारा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो जाता और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करता, तब तक इन योजनाओं का फायदा जनता तक नहीं पहुंचेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा सार्वजनिक प्रशासन ज्यादा चुस्त-दुरुस्त बने ताकि जनता के हित के काम तेजी से हो सकें। नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ मुहैया कराने के लिए डिलीवरी सिस्टम्स में हमें सुधार लाने की जरूरत है। प्रशासन को मज़बूत बनाने के लिए हम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिशों पर तेजी से कार्रवाई करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोक प्रशासन को डिसेंट्रलाइज (decentralize) करने और उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कोशिश की जाएगी। करदाताओं के पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए सरकार और सिविल समाज के बीच एक नई भागीदारी के लिए पहल की जाएगी। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए हमने सूचना का अधिकार कानून बनाया है। इस कानून में ज़रूरी सुधार किए जाएंगे ताकि यह और भी प्रभावी बन सके।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रोग्राम लागू करने के लिए ख़ास तौर पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मज़बूत बनाना होगा। जो लोग गांवों और कस्बों में रहते हैं उन्हें भी उसी तरह की सुविधाएं प्राप्त होनी

चाहिए जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। इस काम में हमें कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Communication और Information Technology) से बहुत मदद मिल सकती है। हमने हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India) की स्थापना की है। यह समूचे देश को अच्छी शासन व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमें उम्मीद है कि अगले एक डेढ़ साल में पहचान-नंबरों का पहला सेट तैयार हो जाएगा।

भाइयो और बहनो,

आज जब मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ तो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते 100 करोड़ से अधिक भारतीयों की ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या भारत अपनी क्षमता को कभी पूरी तरह हासिल कर पाएगा। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें खुद पर भरोसा है। हमारे पास राजनीतिक स्थिरता है। हमारा लोकतंत्र विश्व के सामने एक मिसाल है। हम आर्थिक रूप से मज़बूत हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी पर पूरा विश्वास है। हमारी युवा पीढ़ी हमारा आने वाला कल है। निश्चय ही, वह हमारे देश को एक नया गौरव प्रदान करेगी।

आइए, हम सब मिलकर एक सुनहरे भविष्य के लिए काम करें। आज के पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हमारे लिए राष्ट्र निर्माण ही सबसे बड़ा धर्म रहेगा।

प्यारे बच्चो, मेरे साथ मिलकर तीन बार बोलिए<br>
जय हिन्द !<br>
जय हिन्द !<br>
जय हिन्द !

***

**भारती वैद.वि. जोशीशंकरराकेश संजय- 2224**<br>
**एचडीएचओ**